2/7/19

गए लेकिन उप० प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद

नियम मे प्रार्थी लगभग 15 दिवस बाद बाबत रेस्टोरेशन

नालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश

कृषक है जिसे कानूनी पेचिदगियों का ज्ञान नही होता है।

सी भी पक्षकार को तकनीकी बिन्दु पर उदारवादी

ष्टिकोण अपनाकर अपना पक्ष रखने का अवसर

ना जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी

रा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया

ता है। किसी भी पक्षकार को वाद में अपना पक्ष

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ
	रखने हेतु अवसर देना न्यायसंगत है। यदि कोई पक्षकार पूर्व में अपना पक्ष रखने से वंचित रह गया है, मगर बाद में न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर चाहता है तो न्यायहित में उसे अवसर दिया जाना उचित है जिससे वाद का गुणावगुण पर निर्णय हो सके, व वाद बहुलता को रोका जा सके। उपर्युक्त विवेचन के आधार हालातगत प्रार्थना बाबत रेस्टोरेशन एक हजार रुपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है व मूल वाद पुन: नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कागजात शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।